

26 ⁹/₂₃



काज यह पत्रावली प्रार्थना निगरानीकर्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रा. पत्र पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थना द्वारा अरिथे प्रार्थना-पत्र निवेदन किया कि प्रार्थना इन निगरानी में भागे कोई कार्यवाही नहीं-चाहती है तथा इन्हें निगरानी को लक्षम न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करने के अधिकारों को सुरक्षित रखने हुए निगरानी विद्रो करना चाहती है पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना स्वयं निगरानी को विद्रो करना चाहती है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी विद्रो के आचार पर इती छत्र खारिज की जाती है। पत्रा. फंसल शुभार होकर काजिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सस्तगत (श्री गंगानगर)



गुरमीत वर्मा
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट